

थाना मसूरी पुलिस द्वारा आपरेशन खुशी के अन्तर्गत कार्यवाही कर गुमशुदा संदीप पुत्र अरविन्द नि0 आकाश नगर इन्द्रगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र 13 वर्ष को मात्र 18 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद

कार्यवाही - कल दिनांक 10.11.2020 को देर रात समय करीब 01.30 बजे आकाश नगर की रहने वाली श्रीमती पूनम पत्नी श्री अरविन्द कुमार नि0 आकाश नगर इन्द्रगढी थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गई कि उनका पुत्र संदीप उम्र करीब 13 वर्ष घर से प्रातःकाल स्कूटी व मोबाइल लेकर कहीं चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया साथ ही किसी अनहोनी की आशंका भी जतायी। इस सूचना पर तत्काल मु0अ0सं0 606/20 धारा 363 भादवि पंजीकृत करते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। चूंकि मामला काफ़ी संवेदनशील था इसलिए तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन खुशी के अन्तर्गत गायब बच्चे की सकुशल बरामद करने के निर्देश दिए गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नीरज कुमार जादौन एवं श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक श्री महिपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में चार टीमों का गठन किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक मसूरी राघवेंद्र सिंह द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों टीमों को गायब बच्चे की सुरक्षित बरामदगी हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई और चारों टीमों को अलग - अलग कार्य देते हुए बच्चे के रिश्तेदारों, दोस्तों व अन्य स्थानों पर तलाश प्रारंभ कर दी गई। साथ ही उसके मोबाइल की कॉल डिटेल लेकर मोबाइल सर्विलांस की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई। पूर्व में संदीप के परिजनों द्वारा यह बात बतायी गई थी कि उनके पुत्र संदीप को pubg गेम खेलने का काफ़ी शौक था और वो मना करने के बाद भी नहीं मानता था। इस दृष्टिकोण से भी छानबीन की गई और संदीप के मोबाइल नंबर की लास्ट कॉल की जानकारी की गई तो वह नंबर बिजनौर का पाया गया और ये पता चला कि संदीप अपने एक मित्र नाम सुशान्त पुत्र यादराम निवासी ग्राम मुस्सेपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर जो की pubg खेलने के दौरान उसका दोस्त बना था उसके घर पर बिजनौर स्कूटी चलाता हुआ पहुँच गया। तत्काल एक पुलिस टीम चौकी प्रभारी गार्डन एन्क्लेव श्री राजेश बाबू के नेतृत्व में बिजनौर भेजी गई और अपहर्त संदीप को सुशान्त पुत्र यादराम नि0 ग्राम मुस्सेपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर के घर बिजनौर से सकुशल बरामद कर लिया गया और उसके परिजनों को विधिक प्रक्रिया के उपरांत सौंपा गया। परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई और पुलिस के प्रति विश्वास की भावना प्रबल हुई उक्त घटनाक्रम के दौरान यदि नाबालिग संदीप किसी असामाजिक तत्वों के हाथ लग जाता तो कोई भी अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता था। उच्चाधिकारी गण द्वारा संदीप की मात्र 18 घंटे में थाना मसूरी पुलिस द्वारा सकुशल बरामदगी करने पर प्रशंसा की गई।



थाना भोजपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शांति अभियुक्त मय मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर व क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.11.20 को कलछीना मेरठ बाईपास रोड के पास से 02 नफर अभियुक्त 1-रोशन पुत्र वकील नि0ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद 2- वकील पुत्र मुकारब नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद को अलग अलग क्रमशः 115 ग्राम व 135 ग्राम Alprazolam पाउडर व 10-10 नशीली गोली एल्प्राजोलम। अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है

अपराध कारित करने का तरीका-



अभियुक्त गण द्वारा नशीला पाऊडर को घूमफिर हाईवे व भट्टो पर काम करने वाले मजदूरो व सडक पर आने जाने वाले व्यक्ति को पुडिया बनाकर बेचना व अवैध धन अर्जित करना

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण-

1. रोशन पुत्र वकील नि0ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र- 22 वर्ष

**2. वकील पुत्र मुकारब नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियबाद उम्र- 58 वर्ष
बरामदगी -**

1-115 ग्राम Alprazolam पाउडर व 10 नशीली गोली एल्प्राजोलम बनाम अभि0 रोशन उपरोक्त

2- 135 ग्राम Alprazolam पाउडर व 10 नशीली गोली एल्प्राजोलम बनाम वकील उपरोक्त

अभियुक्त रोशन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण -

1-मु0अ0स0 461/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना भोजपुर गाजियाबाद

2. मु0अ0स0 1009/19 धारा 366 भा0द0वि0 थाना मुरादनगर गाजियाबाद

3- मु0अ0स0 603/18 धारा 60/72 आबकारी एक्ट थाना भोजपुर गाजियाबाद

अभियुक्त वकील का आपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु0अ0स0 462/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना भोजपुर गाजियाबाद ।

2-- मु0अ0स0 253/20 धारा 323/504/452 भा0द0वि0 थाना भोजपुर गाजियाबाद ।

3- मु0अ0स0 303/15 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजपुर गाजियाबाद ।

4-मु0अ0स0 304/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर गाजियाबाद ।

व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा मो.सा. चोरी में करीब एक वर्ष से वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार:- थाना विजय नगर पुलिस के द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 10/11/2020 को थाना विजयनगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 1059/2019 धारा 379,411 भादवि की घटना में करीब 1 वर्ष से वांछित अभियुक्त 1. जितेन्द्र पुत्र गरीब को तिगरी गोल चक्कर थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- जितेन्द्र पुत्र गरीब निवासी दादूपुर थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 1059/2019 धारा 379,411 भादवि



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक अभियुक्ता को मय 1 किलो 400 ग्राम गांजा नाजायज के गिरफ्तार :- थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 11.11.2020 को समय करीब 09.35 बजे, हनुमान वाटिका सेवाधाम से एक महिला अभियुक्ता रिंकी पत्नी स्व० राजेश नि० गैस गोदाम के बराबर में हनुमान वाटिका थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद को मय 1 किलो 400 ग्राम गांजा नाजायज के गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 976/2020 धारा 8/20 NDPS.ACT पंजीकृत कर अभियुक्ता को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

रिंकी पत्नी स्व० राजेश नि० गैस गोदाम के बराबर में हनुमान वाटिका थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 976/2020 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना लोनी बोर्डर गा०बाद।

बरामदगी का विवरण-

1 किलो 400 ग्राम गांजा नाजायज बरामद।



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक अभि० को मय 1 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त नाजायज के गिरफ्तार:- थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 11.11.2020 को समय करीब 03.50 बजे, लालबाग सब्जी मण्डी से अभि० शाहरुख पुत्र शहजाद नि० पावी ईदगाह दीपसिटी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद को मय 1 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त नाजायज के गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 975/2020 धारा 8/15 NDPS.ACT पंजीकृत कर अभि० को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

शाहरुख पुत्र शहजाद नि० पावी ईदगाह दीपसिटी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त शाहरुख का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 975/2020 धारा 8/15 NDPS.ACT थाना लोनी बोर्डर गा०बाद।

अभि० शाहरुख पुत्र शहजाद उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

1 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त नाजायज बरामद।



थाना लोनी क्षेत्र में मोबाइल चोरी करने वाले 05 अभियुक्त गण गिरफ्तार तथा चोरी के 05 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त

01 मोटर साईकिल बरामद:- थाना लोनी पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए द्वारा 05 अभियुक्त गण 1.पवन 2.सचिन 3.नितिश उर्फ गंजा 4.नितिन 5.राजन उर्फ सतेन्द्र सिंह को बंधला फ्लाई ओवर लोनी से दि0 11.11.2020 को चोरी के 05 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY)-

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त गण ने पूछने पर बताया कि साहब हम थाना लोनी क्षेत्र से मोबाइल फोन चोरी कर आशिफ को सस्ते दामों में बेच देते हैं। जिससे हमारा खर्च चल जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण -

- 1.पवन पुत्र अशरफीलाल नि0 सरस्वती विहार (शिव मन्दिर के सामने) थाना गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम डभरपुरा थाना वासौनी जनपद आगरा
- 2.सचिन पुत्र कृष्णापाल निवासी सरस्वती विहार मन्दिर के पास थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम बिजवाडा थाना व जिला बागपत
- 3.नितिश उर्फ गंजा पुत्र सत्यप्रकाश निवासी नहर डिपो के पास (आदेश का मकान) किराये का मकान थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद स्थायी निवासी ग्राम मऊ थाना व जिला बागपत
- 4.नितिन पुत्र सुरेश निवासी सरस्वती विहार गली न0 4 (शिव मन्दिर) थाना लोनी गा0बाद
- 5.राजन उर्फ सतेन्द्र सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी गली नं0 5 सरस्वती विहार थाना लोनी गा0बाद

अभि0गण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0सं0- 966/20 धारा 411/414 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. एक वीवो मोबाइल फोन 2. सैमसंग मोबाइल फोन रंग नीला IMEI 350813664763937 व 357929934763938 3.की पैड मोबाइल IMEI 351504117921623 4.मोबाइल फोन OPPO IMEI 8651165037772337 व 865165037772329
- 5.मोबाइल फोन IMEI नं0 868888035897411 व 868888035897403 व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल स्पेलेन्डर प्लस रजि0 न0 DL 5SBM 7368 सम्ब0 मु0अ0सं0 966/20 धारा 411/414 भादवि।



चैकिंग अभियान के दौरान 01 अभि0 को थाना साहिबाबाद से चोरी की हुई मो0सा0 सहित किया गिरफ्तार:-

थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा अभि0 सोनू उर्फ बकरा पुत्र कालूराम नि0 फौजी के मकान में किराये पर धर्म काटा के पास छपरौला थाना बादलपुर जिला गौतनबुद्धनगर मय थाना साहिबाबाद क्षेत्र से चोरी की मो0सा0 बजाज प्लेटिना न0 DL 5S AA 6836 सहित समय 01.25 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 11/11.2020 को चैकिंग अभियान के दौरान नासिरपुर फाटक पर मुखबिर की सूचना पर भटिया मोड की तरफ से आने वाले मो0सा0 सवार को रोकने का इशारा किया तो पीछे मुडकर भागने का प्रयास करने लगा तेजी से पुलिसकर्मियों द्वारा मो0सा0 प्लेटिना को मय चालक के पकड लिया पकडे जाने पर अपना नाम सोनू उर्फ बकरा उपरोक्त बताया पूछने पर बताया कि यह मो0 सा0 मैंने 1 महीना पहले थाना साहिबाबाद से चोरी की थी अब इसको बेचने की फिराक में घूम रहा था

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सोनू उर्फ बकरा पुत्र कालूराम नि० फौजी के मकान मे किराये पर धर्म काटा के पास छपरौला थाना बादलपुर जिला गौतनबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०स० 1806/20 धारा 411/414 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

बरामदगी

1. मो०सा० बजाज प्लेटिना न० DL 5S AA 6836 इंजन न० DUMBSC52789 चैसिस न० MD2DDDZZZSWC24368 सं लाल सम्बन्धित मु०अ०स० 1252/20 धारा 379 भादवि थाना साहिबाबाद गा०बाद



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा वर्ष-2014 से धोखाधडी के अभियाग में वांछित अभियुक्ता

गिरफ्तार

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों में अपराधियों चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा धोखाधडी के सम्बन्ध में **थाना साहिबाबाद** पर पंजीकृत मु०अ०स० 1590/2014 धारा 420,467,468,471 भादवि में वांछित अभियुक्ता श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० श्री घनश्याम निवासी मौहल्ला पच्छादान पक्का तालाब डासना गेट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को दिनांक: 11.11.2020 को गिरफ्तार किया गया है।

अपराध का तरिका:-

अभियुक्ता द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कल्याण देव पुत्र जयपाल सिंह नि० ग्राम सिहानी थाना सिहानीगेट का प्लॉट जो कि शालीमार गार्डन एक्स० में स्थित प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी से प्लॉट को बेच देना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता:-

1. श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० श्री घनश्याम नि० मौहल्ला पच्छादान पक्का तालाब डासना गेट थाना कोतवाली नगर गा०बाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु०अ०स० 1590/2014 धारा 420,467,468,471 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

चैकिंग अभियान के दौरान 02 नफर अभि0 को क्रमशः 120 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर व 1 अदद चाकू सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि० 11/11.20 को अभि० 1. सूरज शर्मा पुत्र बृजनन्दन शर्मा नि० शिव मन्दिर के पास यादराम के मकान में किराए पर रजापुर थाना कविनगर जनपद गा०बाद 2. नीरज पुत्र हरपाल निवासी ग्राम सैंथली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को भाटिया पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास से क्रमशः 120 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर व 1 अदद चाकू सहित समय 10.10 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 11/11/20 को चैकिंग अभियान के दौरान थाना सिहानीगेट पुलिस को भाटिया पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास एक मो०सा० पैशन प्लस रंग नीला नं० UP 90D 7415 आती दिखायी दी जिसे रोकने का इशारा किया तो पीछे मुडकर भागने का प्रयास करने लगे तेजी से पुलिसकर्मियों द्वारा अभि०गण को मय मो०सा० के पकड लिया पकडे जाने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम सूरज शर्मा व दूसरे ने नीरज उपरोक्त बताया तलाशी ली गयी तो अभि० सूरज शर्मा की जेब से 120 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर व नीरज की जामा तलाशी से उसकी पहनी पेंट के सुड्डे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुई तथा अभियुक्तगण ने पूछताछ पर अक समवर मे बताया कि हम गाँजा व नशीली गोलियाँ बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। मो०सा० के कागजात तलब किये तो दिखाने में कासिर रहे अतः अन्तर्गत धारा 207 mv-ACT सीज किया गया

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सूरज शर्मा पुत्र बृजनन्दन शर्मा नि० शिव मन्दिर के पास यादराम के मकान में किराए पर रजापुर थाना कविनगर जनपद गा०बाद
2. नीरज पुत्र हरपाल निवासी ग्राम सैंथली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1.मु०अ०स० 1807/20 धारा 8/21 NDPS ACT- वनाम सूरज शर्मा
- 2.मु०अ०स० 1808 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम नीरज कुमार

बरामदगी

- 1.120 ग्राम अल्प्राजोलम नशीली पाउडर
- 2.एक अदद चाकू नाजायज
3. एक अदद मोटरसाइकिल पैशन प्लस रंग नीला नं० UP 90D 7415 अन्तर्गत धारा 207 mv-ACT

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दो नाजयाज चाकू के साथ 02 अभियुक्त

गिरफ्तार।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों में अपराधियों चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 10.11.2020 को समय करीब 23.15 बजे बालाजी विहार के पास नाजयज चाकू के साथ दो अभियुक्त 01- रूमपाल पुत्र श्यामलाल सिंह नि० संजय कालोनी चंचल स्टूडियों के पास जीडीए फ्लैट सा०बाद गाजियाबाद 02- मोहित कुमार पुत्र रतन लाल नि० म०नं० 1946 गली नं० 11/3 अम्बेडकर नगर अर्थला मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को दो अदद नाजयज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगणों के कब्जे से दो अदद नाजयज चाकू बरामद होना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

2. रूमपाल पुत्र श्यामलाल सिंह नि० संजय कालोनी चंचल स्टूडियों के पास जीडीए फ्लैट सा०बाद गाजियाबाद
3. मोहित कुमार पुत्र रतन लाल नि० म०नं० 1946 गली नं० 11/3 अम्बेडकर नगर अर्थला मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- 1- मु०अ०सं० 1344/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 2- मु०अ०सं० 1345/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद नाजायज चाकू बरामद।

